न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 39/2017 G.C.M.S. No. 2017/00193 दर्ज दिनांक : 19.05.2017

अपीलार्थी:

1. सोहनलाल पुत्र कपुराराम, उम्र 50 वर्ष, जाति रावल ब्राह्मण, निवासी बोरड़ी, तहसील रानी व जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. शेषमल पुत्र कपुराराम, जाति रावल ब्राह्मण, निवासी बोरड़ी, तहसील रानी व जिला पाली।
2. तहसीलदार रानी, पाली (राज्य सरकार की ओर से भूमिधारी)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 15ए/2015 बअनवान शेषमल बनाम सोहन वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.07.2015 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री दौलत मकवाणा, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री दिव्यप्रकाश द्विवेदी, श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक: 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 15ए/2015 बअनवान शेषमल बनाम सोहन वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.07.2015 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 वादी ने एक वाद धारा 53, 89, 188 इस आशय का विरूद्ध प्रतिवादी अपीलाट प्रस्तुत किया कि ग्राम बोरड़ी के खसरा न. 344 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै. मु. बेरा, खसरा नम्बर 345 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म गै.मु. बाड़ा, खसरा नं. 346 रकबा 4.55 हैक्टेयर किस्म चाही प्रथम, जाव अव्वल कुल खसरा न. 3 कुल रकबा 4.60 हैक्टेयर लगान 135.29 रूपये की सहखातेदारी कृषि भूमि वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के संयुक्त कब्जाकाश्त की विद्यमान है। जमाबंदी संवत् 2071 2074 अनुरूप वादी को 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 की 1/2 हिस्सा दर्ज राजस्व रेकर्ड है व काबिज काश्त है। उक्त वादग्रस्त भूमि के बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा कराने हेतु एवं विवादित भूमि की सीमाओं एवं सीमाकन किया जाकर अलग मार्ट कायम कर अलग बंट का कब्जा सुपुर्द किया जावें। तथा स्थाई निषेधाज्ञा हेतू निवेदन किया तथा विवादित भूमि का बंटवाड़ा, भूमि की

अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

गुणवत्ता, उपयोगिता, मूल्य का देखते हुये किया जावें एवं आवागमन हेतू रास्ता नियत किया जावें। उक्त वाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादी अपीलांट को सम्मन जारी किये, जिसमें प्रतिवादी को कोई सम्मन, नोटिस प्राप्त नहीं हुये। ना ही लोक अदालत के नोटिस प्राप्त हुये। दिनांक 02.07.2015 को ग्राम जीवन्तकलां में प्रतिवादी अपीलांट को सुनवाई का बिना नोटिस दिये उसकी उपस्थिति दर्ज करते हुये वादग्रस्त भूमि के सम्बध में बंटवाड़ा किये जाने हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश की प्रति तहसीलदार रानी को पालना हेतु प्रेषित किये जाने का आदेश पारित किया तथा तहसीलदार रानी को अलग–अलग बंटवाड़ा एवं लगान, व अलग–अलग रकबा किया जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव का नजरी नक्शा भिजवाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश दिनांक 02.07.2015 की पालना में तहसीलदार रानी द्वारा अपीलांट को बंटवाड़ा किये जाने की कार्यवाही हेतु एवं वादग्रस्त भूमि को बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स बंटवाड़ा किये जाने हेतु कोई नोटिस देकर मौके पर तलब नहीं किया, ना ही अपीलांट से प्रस्तावित बंटवाड़ा का नक्शा प्राप्त किया। ना ही तहसीलदार रानी द्वारा कोई कार्यवाही की गई। इस प्रकार तहसीलदार रानी द्वारा प्राथमिक बंटवाड़ा की डिक्री की कोई पालना विधि अनुसार नहीं की गई, ना ही बंटवाड़ा रिपोर्ट अनुसार तहसीलदार रानी द्वारा प्रस्तुत की गई। न्यायालय की आदेशिका दिनांक 11.06.2016 तक निरंतर जारी रही। तत्पश्चात् राजस्व कैम्प में दिनांक 11.06.2016 को नायब तहसीलदार खिवाड़ा को बंटवाड़ा रिपोर्ट पेश किये जाने हेतु फोलोअप कैम्प में दिनांक 07.07.2016 को पेश किये जाने का आदेश दिया गया। उक्त पत्रावली के अवलोकन मात्र से प्रकट है कि दिनांक 17.07.2016 को हल्का पटवारी जीवन्तकलां व नायब तहसीलदार खिवाड़ा ने फॉलोअप कैम्प में ही नक्शा बनाकर वाद पत्रावली पर वादग्रस्त भूमि के पक्षकारों को बिना मौके पर तलब किये एवं उनसे प्रस्तावित बंटवारा का नक्शा बिना प्राप्त किये एवं भूमि की सीमाओं की पैमाईश किये बिना एक टेबल वर्क करते हुये नक्शा दिनांक 7.07.2016 तैयार किया। उक्त नक्शे पर दिनांक 07.07.2016 को ही वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में अंतिम निर्णय आदेशिका में ही पारित करते हुए पत्रावली फैसल शुमार की गई, तथा उक्त पत्रावली दिनांक 07.07.2016 को फोलोअप कैम्प सोमेसर में पक्षकारों को बिना तलब किये 07.07.2016 को आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक बंटवाड़ा का आदेश पक्षकारों के बीच में कोई राजीनामा नहीं होते हुये तथा जवाब व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना पारित की, जो विधि विरूद्ध आदेश है। उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 18.04.2017 को तब हुई जब रेस्पोंडेन्ट भूमि

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दलालों को वादग्रस्त भूमि को निर्णय की पालना में बेचाण करने हेतु विवादित भूमि पर भूमाफियाओं लोगों को भिजवाये जाने एवं भू दलालों द्वारा अपीलाधीन पत्रावली की आदेशों की नकलें बतायें जाने पर अपीलान्ट को अपीलाधीन वाद में पारित आदेशों की जानकारी होने पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.07.2015 के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व प्राथमिक डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट द्वारा वादग्रस्त आराजीयात के बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2015 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध प्रतिवादी अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 27.04.2017 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त आदेश की जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 18.04.2017 को तब हुई जब रेस्पोंडेन्ट भूमि दलालों को वादग्रस्त भूमि को निर्णय की पालना में बेचाण करने हेतु विवादित भूमि पर भूमाफियाओं लोगों को भिजवाये जाने एवं भू दलालों द्वारा अपीलाधीन पत्रावली की आदेशों की नकलें बतायें जाने पर अपीलान्ट को अपीलाधीन वाद में पारित आदेशों की जानकारी होने पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 02.07.2015 के विरूद्ध उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।
3. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वादपत्र में प्रथमदृष्टया पक्षकारान द्वारा राजीनामा निष्पादित किए बिना एवं साक्ष्य लिए बिना अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः प्रकरण में विधिक व प्रक्रियात्मक रूप से सारवान प्रश्न विद्यमान है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निर्णयन आवश्यक है, न कि महज प्रक्रियात्मक आधार पर। साथ ही प्रकरण में विलंब अपीलांट की लापरवाही से होना साबित नहीं हैं। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 17.04.2015 को वादपत्र पंजीबद्ध किया गया तथा इसके पश्चात दो तारीख पेशी क्रमशः 24.04.2015 व 08.05.2015 को न्यायालय कार्य संपादित नहीं हुआ तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 02.07.2015 को पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोई जीवंदकलां में ली जाकर अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी गई। प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा न तो राजीनामा निष्पादित किया गया तथा न ही पक्षकारान द्वारा प्रकरण राजीनामा हेतु निष्पादन के लिए लोक अदालत में रखे जाने हेतु कोई सहमति भी प्रकट नहीं की गई हैं। न ही प्रकरण में अपीलांट प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया तथा प्रकरण में किसी पक्षकारान को साक्ष्य का अवसर दिए बिना सीधे ही अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित कर दी।

5. यह स्वीकृत विधिक स्थिति हैं कि लोक अदालत में प्रकरण केवल पक्षकारान की सहमति से ही रखे जा सकते हैं तथा उभयपक्षकारान की लिखित सहमति व निष्पादित राजीनामा के आधार पर ही वादपत्र निर्णित व डिक्री किया जा सकता है, अन्यथ्ज्ञा नहीं। राजीनामा के जरिये लोक अदालत में प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.सी.आर. सिविल 2006 (4) पेज 947 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 20 के अंतर्गत लोक अदालत के द्वारा मुकदमों के निस्तारण की शक्तियों के संबंध में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है– **" No Order can be passed by Lok Adalat if no compromised or settlement of could at between Parties."** इस प्रकार यह सुविस्थापित प्रावधान है कि पक्षकारों के मध्य बिना सहमति हुए एवं बिना राजीनामा हुए किसी भी प्रकरण को न तो लोक अदालत में रखा जा सकता है एवं न ही लोक अदालत में निर्णित किया जा सकता है, ऐसा किया जाना पक्षकारों के मध्य न्यायिक जबरदस्ती की श्रेणी में आता है, जिसका किसी भी दृष्टि में समर्थन नहीं किया जा सकता है।

6. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पक्षकारान द्वारा राजीनामा प्रस्तुत नहीं किए जाने की दशा में प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में दावा व जवाबदावा के आधार पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 14 की अनुपालना में विवाद्यक कायम किया जाना आज्ञापक रूप से अपेक्षित था तथा इसके पश्चात आदेश 15, 16, 18, 19 व 20 में विहित विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वादपत्र अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री किया जाना अपेक्षित था। लेकिन हस्तगत प्रकरण में इसका सर्वथा अभाव पाया गया। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिसंगत नहीं होने से पुष्टि योग्य नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि अपील अपीलांट भली–भांति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 15ए/2015 बअनवान शेषमल बनाम सोहन वगैरह में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 02.07.2015 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में अपीलांट प्रतिवादी को जवाबदावा प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देते हुए दावा व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक विरचित कर उभयपक्ष को साक्ष्य एवं प्रतिरक्षा का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुए विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए प्रकरण में आदेश 8, 14, 15, 16, 18, 19 व 20 में विहित विधिक प्रक्रियागत प्रावधानों का अनुपालन करते हुए वादपत्र में विधिनुसार अंतिम रूप से निर्णय व डिक्री पारित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 29.06.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय सहायक कलक्टर रानी में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
न्यायिक अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली